

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 520]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 6 अक्टूबर 2023 — अश्विन 14, शक 1945

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

सूचना

क्रमांक एफ 11-03/2021/सात-4.— छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) की धारा 13 की उप-धारा (2) के परन्तुक में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, एतद्वारा, यह सूचना दी जाती है कि उक्त संहिता की धारा 13 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, अधिसूचना क्र. एफ 6-78/सात-3/रा/2005, दिनांक 02 जनवरी 2008 एवं अधिसूचना क्र. एफ 11-03/2021/सात-4, दिनांक 31 मार्च 2022 में क्रमशः तहसील बरमकेला एवं तहसील सरिया जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ की सीमाओं में आंशिक परिवर्तन करते हुये, निम्नलिखित संशोधन करना प्रस्तावित करती है;

राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से साठ दिवस की समाप्ति पर, प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा तथा इसके संबंध में कोई भी आपत्ति या सुझाव, लिखित में, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, कैपिटल काम्प्लेक्स, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर को उक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व, अग्रेषित किये जा सकेंगे :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, -

अनुसूची

स.क्र. (1)	जिला (2)	तहसील (3)	परिवर्तन का स्वरूप (4)	तहसील की सीमाएं (5)
1	सारंगढ़- बिलाईगढ़	सरिया	राजस्व निरीक्षक मंडल सरिया के पटवारी हल्का क्र. 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 44 एवं 45 के कुल 36 ग्राम. राजस्व निरीक्षक मंडल गोबरसिंघा के पटवारी हल्का क्र. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एवं 14 के कुल 37 ग्राम. अतः कुल 18 पटवारी हल्कों के 73 ग्राम तहसील सरिया में शामिल होंगे।	उत्तर - तहसील पुसौर, जिला रायगढ़ दक्षिण - तहसील बरमकेला, जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ पूर्व - तहसील अम्बाभौना, जिला बरगढ़ (उड़ीसा) पश्चिम - तहसील सारंगढ़, जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़.

2	सारंगढ़-बिलाईगढ़	बरमकेला	<p>राजस्व निरीक्षक मंडल बरमकेला के पटवारी हल्का क्र. 1, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 27, 29 एवं 30 के कुल 67 ग्राम.</p> <p>राजस्व निरीक्षक मंडल डोंगरीपाली के पटवारी हल्का क्र. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 एवं 26 के कुल 60 ग्राम.</p> <p>राजस्व निरीक्षक मंडल देवगांव के पटवारी हल्का क्र. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15 एवं 28 के कुल 48 ग्राम.</p> <p>अतः कुल 30 पटवारी हल्कों के 175 ग्राम तहसील बरमकेला में शामिल होंगे।</p>	<p>उत्तर - तहसील सरिया, जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़</p> <p>दक्षिण - तहसील सराईपाली, जिला महासमुंद</p> <p>पूर्व - तहसील अम्बाभौना, जिला बरगढ़ (उड़ीसा)</p> <p>पश्चिम - तहसील सारंगढ़, जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़</p>
प्रस्तावित परिवर्तन का कारण:- प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण				

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग पाण्डेय, विशेष सचिव.

Atal Nagar, the 6th October 2023

NOTICE

No. F 11-03/2021/Seven-4.— In pursuance of the provision contained in the proviso to sub-section (2) of Section 13 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), notice is hereby given that in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 13 of the said Code, the State Government, proposes to the following amendment in Notification No. F 6-78/Seven-3/Revenue/2005, Dated 2nd January, 2008 and Notification No. F 11-03/2021/Seven-4, Dated 31st March, 2022 by making partial change in the boundaries of Tahsil Baramkela and Tahsil Sariya, District Sarangarh-Bilaigarh, respectively;

The proposal shall be taken into consideration on the expiry of Sixty days from the date of publication of this notice in the Official Gazette and any objections or suggestions in respect thereof may be forwarded, in writing to the Secretary, Government of Chhattisgarh, Department of Revenue and Disaster Management, Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Capitol Complex, Nava Raipur Atal Nagar, District Raipur before the expiry of the said period :-

AMENDMENT

In the said Notification, -

SCHEDULE

S. No. (1)	District (2)	Tahsil (3)	Nature of Change (4)	Boundaries of new Tahsil (5)
1	Sarangarh-Bilaigarh	Sariya	<p>Total 36 villages of Patwari Halka No. 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 44 and 45 of Revenue Inspector Circle Sariya.</p> <p>Total 37 villages of Patwari Halka No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 14 of Revenue Inspector Circle Gobarsingha.</p> <p>Hence, 73 villages of 18 Patwari Halkas shall be included in Tahsil "Sariya".</p>	<p>North- Tahsil- Pusoor, District- Raigarh</p> <p>South - Tahsil- Baramkela District- Sarangarh-Bilaigarh</p> <p>East - Tahsil- Ambabhauna, District- Bargarh (Odisha)</p> <p>West - Tahsil- Sarangarh District- Sarangarh-Bilaigarh</p>

2	Sarangarh- Bilaigarh	Baramkela	<p>Total 67 villages of Patwari Halka No. 1, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 27, 29 and 30 of Revenue Inspector Circle Baramkela.</p> <p>Total 60 villages of Patwari Halka No. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 and 26 of Revenue Inspector Circle Dongripali.</p> <p>Total 48 villages of Patwari Halka No. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15 and 28 of Revenue Inspector Circle Devgaon.</p> <p>Hence, 175 villages of total 30 Patwari Halkas shall be included in Tahsil "Sariya".</p>	<p>North- Tahsil- Sariya, District- Sarangarh- Bilaigarh</p> <p>South - Tahsil- Saraipali, District- Mahasamund</p> <p>East - Tahsil- Ambabhauna, District- Bargarh (Odisha)</p> <p>West - Tahsil- Sarangarh District- Sarangarh- Bilaigarh</p>
Reasons for proposed change - Administrative decentralization				

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ANURAG PANDEY, Special Secretary.